"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2015—पौष 4, शक 1937

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई-1-03/2015/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री टी. राधाकृष्णन, (भा.प्र.से.-1978) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पदस्थ करता है.

श्री टी. राधाकृष्णन, (भा.प्र.से.-1978), द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवाा (वेतन) नियम 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

2. श्री समीर विश्नोई, (भा.प्र.से.-2009), प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड पदेन उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के पद पर पदस्थ करता है.

श्री समीर विश्नोई, भा.प्र.से., द्वारा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के असंवर्गीय पद को राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

श्री समीर विश्नोई द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती श्रुति सिंह, (भा.प्र.से.-2006) प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित एवं संचालक, ग्रामोद्योग, संयुक्त सचिव, ग्रामोद्योग तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम केवल प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेगा.

3. श्री जय प्रकाश मौर्य, (भा.प्र.से.-2010), अपर कलेक्टर, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

4. श्री सरवेश्वर भूरे नरेन्द्र, (भा.प्र.से.-2011), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम के पद पर पदस्थ करता है.

5. श्री के. डी. कुंजाम, (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कबीरधाम को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-09-19/2015/1/5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2015 कहलायेंगे.

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

   (ख) "बी.ओ.जी." से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रशासन अकादमी के लिये गठित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

   (ग) "आयोग" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग;

   (घ) "महानिदेशक" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी;

   (ङ) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(च) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी (राजपत्रित) सेवा;

(ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे:

परंतु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी रूप से, वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. **भर्ती का तरीका.—**

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) संविदा आधार पर मेरिट/साक्षात्कार द्वारा;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये.

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसे/जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, आयोग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.—** इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **संविदा नियुक्ति द्वारा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—** संविदा नियुक्ति द्वारा भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें, समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार होगी.

9. **निरर्हता.—** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जायेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में महानिदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा.—** किसी पद के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी होने की दशा में, चयन के लिए अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में महानिदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा.

11. **निर्वचन.—** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

12. **शिथिलीकरण.—** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

13. **निरसन तथा व्यावृत्ति.—**

(1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार उपबंधित आरक्षण तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, सचिव.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महानिदेशक (भा.प्र.से.)	01	रु. 80,000 (निश्चित)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	संचालक (भा.प्र.से.)	01	रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन 10,000	
3.	अपर संचालक (वित्त) वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान.	01	रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन 8,700	
4.	संयुक्त संचालक (प्रशासनिक)	01	रु. 15600-39000 + ग्रेड वेतन 7,600	
5.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र एवं विकास नियोजन)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 9,000 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,000	
6.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 9,000 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,000	
7.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 9,000 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,000	
8.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (प्रबंधन)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 9,000 रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,000	
9.	कार्यपालन यंत्री	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	
10.	संयुक्त संचालक (लेखा)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	
11.	उप संचालक (प्रशासन)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	
12.	उप संचालक (प्रशिक्षण)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	
13.	उप संचालक (वित्त) (वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	
14.	सहायक संचालक (लेखा)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5,400	
15.	सिस्टम एनालिस्ट कम लेक्चर कम्प्यूटर साईंस.	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 5,400	
16.	वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रथम श्रेणी (आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 7,600	
17.	संकाय सदस्य प्रथम श्रेणी (आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01	रु. 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6,600	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत अन्य सेवा से व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा/संविदा द्वारा	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	महानिदेशक (भा.प्र.से.)	01	100%	भा.प्र.से. के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर
2.	संचालक (भा.प्र.से.)	01	100%	भा.प्र.से. के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
3.	अपर संचालक (वित्त) वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान.	01	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
4.	संयुक्त संचालक (प्रशासनिक)	01	100%	राज्य सिविल सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
5.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र एवं विकास नियोजन)	01	100%	उच्च शिक्षा विभाग या विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर अथवा ग्राम तथा नगर निवेश से कार्यरत/सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक स्तर का अधिकारी.
6.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (लोक प्रशासन)	01	100%	उच्च शिक्षा विभाग से या राज्य विश्वविद्यालय सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
7.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (मनोविज्ञान)	01	100%	उच्च शिक्षा विभाग से या राज्य विश्वविद्यालय सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
8.	प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक (प्रबंधन)	01	100%	उच्च शिक्षा विभाग से या राज्य विश्वविद्यालय सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
9.	कार्यपालन यंत्री	01	100%	निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा एवं अभियांत्रिकीय के किसी एक संकाय में उपाधि धारक होना चाहिये.
10.	उप संचालक (लेखा)	01	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
11.	उप संचालक (प्रशासन)	01	100%	राज्य सिविल सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
12.	उप संचालक (प्रशिक्षण)	01	100%	राज्य सिविल सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	उप संचालक (वित्त) वित्तीय प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान	01	100%	राज्य वित्त सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
14.	सहायक संचालक (लेखा)	01	100%	वित्त विभाग, वित्त एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
15.	सिस्टम एनालिस्ट कम लेक्चर कम्प्यूटर साईंस.	01	100%	तकनीकी शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय सेवा/किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
16.	वरिष्ठ संकाय सदस्य प्रथम श्रेणी (आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01	100%	राज्य सिविल सेवा/किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.
17.	संकाय सदस्य प्रथम श्रेणी (आपदा प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान)	01	100%	राज्य सिविल सेवा/किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति/संविदा नियुक्ति द्वारा.

New Raipur, the 2nd December 2015

No. F-09-19/2015/1/5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of service of the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Servises Recruitment Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of services means the Government of Chhattisgarh;

(b) "B.O.G." means Board of Governors constituted by the Government of Chhattisgarh for Academy of Administration;

(c) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission;

(d) "Director General" means the officer of the Indian Administrative Services appointed on this post by the Government of Chhattisgarh;

(e) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

(f) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

(g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5/25/4/84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(h) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

(i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Articles 341 of the Constitution of India;

(j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Articles 342 of the Constitution of India;

(k) "Services" means the Chhattisgarh Academy of Administration (Gazetted) Services;

(l) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.—** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.—** The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.—** The classification of the service, the number of posts included in the service and the scales of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.—**

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

(a) by merit/interview on contract basis;

(b) by transfer/deputation of persons, who hold in a substantive capacity such post in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service, as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the Commission adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment in Service.—** After the commencement of these rules, all appointment to the service shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of Eligibility for recruitment by Contractual Appointment.—** The conditions of eligibility for recruitment by contractual appointment shall be in accordance with the Chhattisgarh Civil Sewa (Samvida Niyukti) Niyam, 2012, as amended from time to time.

9. **Disqualification.—** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.

10. **Decision of the Director General about the eligibility of candidates shall be final.—** In case of more than one candidates for any posts, then the decision of the Director General as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final.

11. **Interpretation.—** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

12. **Relaxation.—** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules may apply in such manner as may appear to it to be just and proper :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

13. **Repeal and Saving.—**

(1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall effect reservation and other concession provided to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Secretary.

SCHEDULE-I
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of the posts included in the service (2)	Number of Post (3)	Scale of Pay (4)	Remarks (5)
1.	Director General (I.A.S.)	01	Rs. 80,000 (Fixed)	
2.	Director (I.A.S.)	01	Rs. 37400-67000 + Grade Pay 10,000	
3.	Additional Director (Finance) Financial Management & Training Institute.	01	Rs. 37400-67000 + Grade Pay 8,700	
4.	Joint Director (Administration)	01	Rs. 15600-39000 + Grade Pay 7,600	
5.	Professor/Assistant Professor (Economics & Development Planning)	01	Rs. 15600-39100 + AGP 9,000 Rs. 15600-39100 + AGP 6,000	
6.	Professor/Assistant Professor (Public Administration)	01	Rs. 15600-39100 + AGP 9,000 Rs. 15600-39100 + AGP 6,000	
7.	Professor/Assistant Professor (Psychology)	01	Rs. 15600-39100 + AGP 9,000 Rs. 15600-39100 + AGP 6,000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Professor/Assistant Professor (Management)	01	Rs. 15600-39100 + AGP 9,000 Rs. 15600-39100 + AGP 6,000	
9.	Executive Engineer	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	
10.	Joint Director (Accounts)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	
11.	Deputy Director (Administration)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	
12.	Deputy Director (Training)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	
13.	Deputy Director (Finance) Financial Management & Training Institute.	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	
14.	Assistant Director (Accounts)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 5,400	
15.	System Analyst-cum-Lecturer Computer Science.	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 5,400	
16.	Senior Faculty Member Class-I (Disaster Management & Training Institute)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 7,600	
17.	Faculty Member Class-I (Disaster Management & Training Institute)	01	Rs. 15600-39100 + Grade Pay 6,600	

SCHEDULE-II
(See rule 6)

S. No.	Name of Service/Posts	Total number of duty post	Percentage of number of the posts to be filled in by deputation of person from other services/ contractual	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Director General (I.A.S.)	01	100%	On Deputation from I.A.S. Officers
2.	Director (I.A.S.)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from I.A.S. Officers.
3.	Additional Director (Finance) Financial Management & Training Institute.	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from State Finance Services.
4.	Joint Director (Administration)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Civil Services.
5.	Professor/Assistant Professor (Economics & Development Planning)	01	100%	On Deputation from Department of Higher Education or University Services or Joint Director's level officer working in/retired from Rural and Urban Investment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Professor/Assistant Professor (Public Administration)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from Department of Higher Education or State University Services.
7.	Professor/Assistant Professor (Psychology)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from Department of Higher Education or State University Services.
8.	Professor/Assistant Professor (Management)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from Department of Higher Education or State University Services.
9.	Executive Engineer	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from Work's Department and must be having a degree on any branch of engineering.
10.	Joint Director (Accounts)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Finance Services.
11.	Deputy Director (Administration)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Civil Services.
12.	Deputy Director (Training)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Civil Services.
13.	Deputy Director (Finance) Financial Management & Training Institute.	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Finance Services.
14.	Assistant Director (Accounts)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the Finance Department, Finance and Accounts Services.
15.	System Analyst-cum-Lecturer Computer Science.	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from Technical Education Department/ University Services/any other Department.
16.	Senior Faculty Member Class-I (Disaster Management & Training Institute)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Civil Services/any other Department.
17.	Faculty Member Class-I (Disaster Management & Training Institute)	01	100%	On Deputation/Contractual Appointment from the State Civil Services/any other Department.

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई 7-43/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 के उप नियम (1) एवं (2) के प्रावधान अनुसार श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. को विभागीय आदेश दिनांक 26-12-2013 द्वारा दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 30-09-2015 (02 वर्ष, 02 माह) तक स्वीकृत असाधारण अवकाश में से दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 31-07-2014 (01 वर्ष) तक की अवधि को निम्नानुसार अवकाश में परिवर्तित किया जाता है :—

क्र.	अवकाश का प्रकार	अवधि	दिवस
1.	अर्जित अवकाश	01-08-2013 से 28-03-2014	240
2.	अर्द्धवेतन अवकाश	29-03-2014 से 31-07-2014	125
		कुल दिवस	**365**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ:) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारुप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 4-4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारुप

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया/सर्वेक्षक/भंडारणकर्मी/गोडाउनकीपर रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2 रायपुर, दिनांक 14-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 14th December 2015

No./5192/F-20/15/2014/14-2.—The following draft of amendment in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than One Market Areas) Rules, 2006, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the Section 79 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S-4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENTS

In the said Rules :—

For clause (a) of rule 4, the following shall be substituted, namely :—

"(a)	Trader/Processor/Commission Agent/ Surveyor/Warehouseman/Godown Keeper.	Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand)"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य , छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. लेवे, अवर सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-8/2011/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 292-क, 292-ख, 292-ग, 292-च एवं 292-झ सहपठित धारा 433 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339-क, 339-ख, 339-ग, 339-च एवं 339-झ सहपठित धारा 355 तथा 356 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निबंधन तथा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 10 के उप-नियम (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि आवास हेतु फर्शी क्षेत्रफल,—

(एक) तीन लाख रुपये की पारिवारिक वार्षिक आय सीमा वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये, तीस वर्ग मीटर तक होगा; और

(दो) तीन लाख रुपये से अधिक किन्तु छः लाख रुपये से कम की पारिवारिक वार्षिक आय वाले निम्न आय वर्गों के लिये, तीस वर्ग मीटर से अधिक किन्तु साठ वर्ग मीटर से कम होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-8/2011/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-8/2011/18 दिनांक 5-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 5th December 2015

No. F 7-8/2011/18.—In exercise of the powers conferred by Section 292-A, 292-B, 292-C, 292-F and 292-I read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Sections 339-A, 339-B, 339-C, 339-F and 339-I read with Sections 355 and 356 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) and read with sub-rule (7) of Rule 10 of the Chhattisgarh Municipal Corporation and Municipalities (Registration of Colonizer, Terms and Conditions) Rules, 2013, the State Government, hereby, notifies that the carpet areas for homes,—

(i) shall be upto thirty square meters for Economically Weaker Sections haveing annual family income ceiling of rupees three lacs; and

(ii) shall be more than thirty square meters but less than sixty square meters for Low Income Groups having annual family income of more than rupees three lacs but less than rupees six lacs.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-44/2014/32.—छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम, 2011 की धारा 6 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार पाण्डे पिता स्व. श्री रूद्र नारायण पाण्डे, अधिवक्ता, नयापारा, जगदलपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण के सदस्य के पद पर नियुक्त करता है.

2. श्री पाण्डे की पदावधि कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, तक रहेगी. शेष सेवा शर्तें अलग से जारी की जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय शुक्ला, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्रमांक 3924/3756/2015/32.—श्री महादेव कांवरे (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर के दिनांक 23-11-2015 से 02-01-2016 तक की प्रशिक्षण अवधि के लिए श्री रजत कुमार (भा.प्र.से.), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, नया रायपुर को अपने कार्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2015

क्रमांक 11402/3285/21-ब/छ.ग./2015.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री घनश्याम राय, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, मनेन्द्रगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक मनेन्द्रगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572-मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

गृह-सी विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 सितम्बर 2015

विभागीय परीक्षा माह जनवरी, 2016 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ 09-119/गृह-सी/परीक्षा/2015.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों को (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा सोमवार, दिनांक 11 जनवरी, 2016 से 18 जनवरी, 2016 तक रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर (बस्तर) तथा अंबिकापुर (सरगुजा) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्त को उपलब्ध करायें.

सोमवार, दिनांक 11-01-2016

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	पहला प्रश्न पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
2.	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित)	
3.	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
4.	विधि तथा प्रक्रिया-विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	
5.	पहला प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
59.	विद्युत संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
	सोमवार, दिनांक 11-01-2016	
6.	दूसरा प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना भू-अभिलेख विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
60.	भू-योजना तथा विद्युत सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	

मंगलवार, दिनांक 12-01-2016

(1)	(2)	(3)
9.	पहला प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
10.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"बी".	
11.	पहला प्रश्न पत्र प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) राजस्व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये भाग-"सी".	
12.	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) (नैसर्गिक संसाधन) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
14.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-प्रथम प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के).	
61.	विद्युत संस्थापनायें ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

मंगलवार, दिनांक 12-01-2016

15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व भू-अभिलेख, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
16.	प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	
18.	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
19.	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया-द्वितीय प्रश्न पत्र पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
62.	लेखा व स्थापना ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों की सहायता से)	

बुधवार, दिनांक 13-01-2016

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया, राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
22.	प्रश्न पत्र प्रथम वन विधि (बिना पुस्तकों के) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
23.	पहला प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
24.	पुलिस अधिकारियों की "व्यवहारिक परीक्षा"	
63.	स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	
	बुधवार, दिनांक 13-01-2016	
25.	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया-विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये	
26.	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	पुलिस अधिकारियों की "पुलिस शाखा" प्रश्न पत्र (बिना पुस्तकों के)	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
30.	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1, लेखा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	विद्युत रोधन समन्यवय तथा परिसंकट ग्रस्ट इंशूलेशन को-आर्डिनेशन व हजार्ड एस. एरिया ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि. सु.) के लिये (बिना पुस्तकों के)	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास, सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों की सहायता से)	

गुरुवार, दिनांक 14-01-2016

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों तथा राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
35.	प्रश्न पत्र-प्रथम लेखा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के) पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये	
37.	लेखा (पुस्तकों सहित) उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये	
38.	लेखा (लेखा पुस्तकों सहित) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	
39.	लेखा (पुस्तकों सहित) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	
40.	लेखा (पुस्तकों सहित) नैसर्गिक संसाधन विभाग के अधिकारियों के लिये	
	गुरुवार, दिनांक 14-01-2016	
41.	लेखा (पुस्तकों सहित) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	
	शुक्रवार, दिनांक 15-01-2016	
45.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये प्रश्न पत्र भाग-1 (बिना पुस्तकों के) पशुचिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
46.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा भाग-1 मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के लिये (बिना पुस्तकों के)	
47.	प्रथम प्रश्न पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये	
49.	प्रश्न पत्र-द्वितीय छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	

(1)	(2)	(3)
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) वन क्षेत्रपालों के लिये	
65.	पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकास खंड अधिकारी के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
	शुक्रवार, दिनांक 15-01-2016	
51.	सिविल पशुचिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों का लेखा प्रश्न पत्र भाग-2 पशु चिकित्सा सेवा विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
52.	प्रश्न पत्र लेखा भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	
53.	सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित)	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा (बिना पुस्तकों के) कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	
57.	प्रश्न पत्र तृतीय अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जनजाति) विकास, जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	
	शनिवार, दिनांक 16-01-2016 एवं रविवार 17-01-2016 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 18-01-2016	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
58.	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3), दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स. से दिनांक 15 जनवरी, 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्षों/आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण-पत्रों को गृह-सी विभाग, (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15-12-2015 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 3-69/2015/बजट/गृह-दो.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, क्रमांक 2 सन् 1974 की धारा-2 के खण्ड (घ) द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचनाओं में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा जन सुविधा एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कालम नम्बर-3 में वर्णित पुलिस थाना के उक्त सारणी के कालम (4) की तद्संबंधित प्रविष्टि में उल्लेखित किये गये स्थानीय क्षेत्रों को कालम नं.-2 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्राधिकार में अधिसूचित करता है :—

क्र. (1)	थाना/तह./जिला का नाम जिसमें सम्मिलित किया जाना है (2)	थाना/तह./जिला का नाम जिससे अपवर्जित किया जाना है (3)	क्षेत्र का नाम (3)	पटवारी हल्का नं. (5)
1.	थाना-छुईखदान, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	थाना-गण्डई, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव.	झिरिया	25
2.	थाना-छुईखदान, तहसील-छुईखदान, जिला-राजनांदगांव.	थाना-गण्डई, तहसील-छुईखदान जिला-राजनांदगांव.	देवरचा	25

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 7-12/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री धर्मेन्द्र गर्ग, (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ को दिनांक 23-11-2015 से 05-12-2015 तक कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 21, 22-11-2015 एवं 06-12-2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री धर्मेन्द्र गर्ग आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गर्ग को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गर्ग, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो, अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री धर्मेन्द्र गर्ग की अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग के पद का प्रभार श्री ध्रुव गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ बघेरा, दुर्ग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-46/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. संजीव शुक्ला (भापुसे-2005) पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को दिनांक 04-12-2015 से 10-12-2015 (07 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. शुक्ला आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. संजीव शुक्ला (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. डॉ. संजीव शुक्ला (भापुसे-2005) पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ का चालू प्रभार श्री यू. बी. एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ 1-51/2013/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्रीमती पारूल माथुर, (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक (रेल), रायपुर को दिनांक 30-11-2015 से 08-12-2015 (09 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29-11-2015 के शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती माथुर आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती माथुर को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

5. श्रीमती पारूल माथुर (भापुसे-2008) पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, (रेल) रायपुर का चालू प्रभार श्रीमती मिलना कुर्रे, सहा. पुलिस महानिरीक्षक (आजाक), पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदारी, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 अक्टूबर 2015

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 15/अ-82/2011-12.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ द्वारा ग्राम डूमरपाली प.ह.नं. 5 रा.नि.मं. किरोड़ीमलनगर तहसील व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 23.652 हेक्ट. औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा 4 (1) की अधिसूचना तथा धारा 6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 02-12-2011 तथा दिनांक 27-01-2012 को कराया गया है.

चूंकि अब मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से 0.303 हेक्ट. एवं 17.017 हेक्ट., निम्नांकित कुल ख.नं. 94 कुल रकबा 17.320 हेक्ट. भूमि प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-डूमरपाली, प.ह.नं. 5 रा.नि.मं. किरोड़ीमलनगर

खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा	खसरा नं.	रकबा
15/9	0.012	124/2ख	0.077	225/13	0.105	15/2	0.049	124/6	0.138
15/12	0.012	123/4	0.405	225/6क/1	0.081	15/4क	0.016	125/1	0.405
38/13	0.014	21/1	0.380	123/10	0.162	15/4ख	0.004	22/1ख	0.210
38/19	0.014	11/3	0.142	29/3	0.405	16/3	0.037	27/1	0.093
45/6	0.170	124/1क	0.045	28	0.057	16/1	0.274	22/4	0.105
53/3	0.032	123/2	0.324	124/2क	0.105	16/2	0.053	22/6	0.170
78/2	0.049	225/6ग	0.192	224/1	0.145	4/2 क	0.073	25/2	0.405
29/2	0.405	225/8 ख	0.214	224/2	0.145	4/2 ख	0.243	124/4क	0.081
33/2क	0.355	23	0.243	225/1 क	0.101	5/2	0.166	124/4 ख	0.020
22/8	0.174	123/7	0.242	26/1	0.133	7	0.244	225/6क/2	0.568
22/9	0.170	21/2	0.380	9/2	0.284	8	0.053	26/5	0.035
22/10	0.105	123/6	0.405	12/1	0.291	6/4	0.194	26/4	0.071
225/1ख	0.081	29/5	0.405	13/4	0.166	12/7	0.115	33/2ख	0.354
225/3	0.073	123/8	0.324	15/1, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10 / 1	0.777	9/1	0.283	25/1	0.174
225/4	0.061	124/1ख	0.121	15/11	0.041	10	0.182	25/3	0.477
225/6 ख	0.065	225/5	0.097	14/2	0.202	11/2	0.142	73/3	0.219
225/12	0.089	225/2	0.223	14/4	0.154	124/3ख	0.097	73/6	0.040
29/4	0.202	225/9	0.061	15/1, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10 / 2	0.777	26/2	0.559	6/2 घ	0.077
123/9	0.202	225/8 ग	0.073	15/3	0.020	124/5	0..105		

कुल खसरा नं. 94 रकबा 17.320 हेक्टेयर

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेल मंगई डी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 20 नवम्बर 2015

क्रमांक/02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	कुम्हानखार प.ह.नं. 30	0.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर.	टुरी नदी व्यपवर्तन योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आमगांव प.ह.नं. 02	9.183	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर.	आमगांव जलाशय योजना बांध क्षेत्र एवं डूबान क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक 04/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	घाघरा प.ह.नं. 11	0.097	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर.	जशपुर सन्ना मुख्य मार्ग में दबा है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक 06/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता प.ह.नं. 05	2.725	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना में शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक 07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता प.ह.नं. 05	3.376	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना में शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिम शिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक/1/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	नमदगिरी प.ह.नं. 07	0.104	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक/3/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	पतरापारा प.ह.नं. 06	0.94	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2015

क्रमांक/4/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	सूरजपुर	महगवां प.ह.नं. 6	2.583	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.).	रिंग रोड निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 1/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनगवां प.ह.नं. 22	0.429	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	जोगीडोंगरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्रमांक 2/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	देवरगांव प.ह.नं. 14	3.632	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड, जिला बिलासपुर (छ.ग.)	मल्हनिया जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्रमांक 12208/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-बतरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-29.26 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
84	0.60
85	0.45
87/1	0.06
87/2	0.15
87/3	0.13
87/4	0.26
88/1	0.50
88/2	0.30
88/4	0.30
88/5	0.05
89/1	0.15
89/2	0.15
91	0.30
92/1	0.05
92/2	0.10
92/3	0.40
94/6	0.15
133/1	0.05
133/2	0.03
133/3	0.03
133/4	0.03
133/5	0.03
133/6	0.02
135/1	0.02
135/2	0.02
135/3	0.02
390	0.31
391	0.18
392	0.13
393	0.20
396/1	0.90
485/5	0.27
517	0.22
518	0.22
519/1	0.60
520	0.45
534/1	0.25
534/3	0.67
536/1	0.40
536/2	0.74
537/1	0.10
537/2	0.10
538/2	0.28
538/3	0.11
539	0.45
555	0.10
556	0.03
557	0.26
1056/1	0.07
1056/11	0.07
1056/13	0.03
1056/15	0.07
1056/18	0.10
1060	0.20
1063	0.30
1081	0.10
1083	0.30
1084	0.40
1074/2	0.03
1074/3	0.15
1086/1	0.15
1086/2	0.05
1086/3	0.30
1087/1	0.10
1075/1	0.30
1114/1	0.02
1115	0.30
1116	0.27
1118/1	0.15

(1)	(2)
1123/2	0.20
1123/3	0.37
1123/4	0.20
1143	0.15
1144	0.05
1145	0.23
1148	0.35
1155	0.45
1162	0.35
1160/1	0.40
1160/2	0.40
1156/1	0.10
1157	0.12
1158	0.04
1219	0.11
1220	0.30
1221/1	0.11
1221/2	0.04
1223	0.37
1224/1	0.07
1224/2	0.04
1224/3	0.07
1346/3	0.05
1346/5	0.05
1346/6	0.30
1346/10	0.10
1346/11	0.15
1346/12	0.05
1355/2	0.15
1355/3	0.30
1356/1	0.10
1356/2	0.30
1356/3	0.05
1445/4	0.25
1357	0.15
1358	0.96
1359/2	0.10
1360	0.45
1361/3क	0.07
1362	0.35
1443/1	0.05
1443/2	0.05
1444	0.05
1445/1	0.15

(1)	(2)
1445/2	0.08
1445/3	0.10
1445/6	0.10
1452/2	0.07
1452/4	0.03
1452/3	0.07
1452/5	0.03
1453	0.12
1454	0.30
1455/1	0.05
1455/2	0.10
1456	0.15
1480/2	0.30
1481/1	0.15
1481/2	0.15
1481/3	0.09
1483/1	0.13
1483/2	0.13
1483/4	0.11
1483/5	0.15
1484	0.22
1489/1	0.04
1489/2क	0.04
1489/2ख	0.03
1490/2	0.17
1490/3	0.17
1491/1	0.10
1492/1	0.25
1492/2	0.42
1492/3	0.30
1510	0.57
1512/1	0.05
1515/1	0.10
1516/1	0.11
1516/5	0.20
1517/1	0.05
1517/2	0.50
योग 150	29.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खारून व्यपवर्तन योजना के बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. दयानंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

प्र. क्रमांक 30/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प.ह.नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.076 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	1384/1	0.016
	1385/1	0.016
	1386/1	0.016
	1387/1	0.016
	1388/1	0.012
योग	5	0.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

प्र. क्रमांक 31/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-नवापाराकला, प.ह.नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.048 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	235/1	0.016
	236	0.032
योग	2	0.048

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

प्र. क्रमांक 53/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-सकरेली (बा.), प.ह.नं. 16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	763/3	0.032
योग	1	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सकरेली वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 19 नवम्बर 2015

प्र. क्रमांक 105/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा
(ख) तहसील-सक्ती
(ग) नगर/ग्राम-सरहर, प.ह.नं. 17
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	831/3	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/382/क/भू-अर्जन/05/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुंद
(ख) तहसील-पिथौरा
(ग) नगर/ग्राम-पिपरौद
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
52/5	0.15
52/6	0.16
55	0.35

	(1)	(2)
	66	0.03
	53	0.02
	64/1	0.04
	64/5	0.20
	64/6	0.15
	63	0.26
	61	0.21
	141	0.09
	142	0.42
	143/3	0.18
	143/4	0.20
	144/2	0.08
	144/3	0.02
	144/4	0.13
	168/1	0.17
	144/7	0.07
	122	0.03
	146	0.43
	119	0.01
	172/2	0.45
	165	0.01
	167	0.14
	169	0.15
	170	0.14
	153	0.35
	149/1	0.42
	140/2	0.02
	120	0.02
योग	31	5.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/384/क/भू-अर्जन/07/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-परसवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	3	0.04
	4	0.22
	5	0.13
	185/1	0.01
योग	4	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/386/क/भू-अर्जन/08/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-सागुनढाप
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60	0.26

	(1)	(2)
	61/1	0.14
	61/2	0.04
	84	0.30
	57	0.08
	58	0.08
	56	0.13
	55	0.18
	78/1	0.08
	78/2	0.05
	79	0.08
	83	0.13
	85	0.50
	86	0.15
	87	0.15
	88	0.08
योग	16	2.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/388/क/भू-अर्जन/09/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-सागुनढाप तु.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.53 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.14
	6	0.06
	3	0.08
	5	0.01
	7	0.04
	9	0.08
	8	0.12
योग	7	0.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/390/क/भू-अर्जन/10/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-सागुनढाप तु. राजाकटेल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.88 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/1	0.10
66/2	0.01
66/4	0.02
64	0.04
65	0.12

	(1)	(2)
	86	0.05
	89	0.09
	144/3	0.28
	87	0.05
	90	0.09
	171	0.02
	85/1	0.02
	141	0.25
	91	0.11
	175	0.20
	148	0.03
	101/6	0.01
	102	0.10
	103/2	0.05
	177/3	0.04
	177/2	0.05
	176/1	0.05
	176/2	0.10
	147	0.02
	172	0.14
	143/3	0.02
	144/1	0.13
	144/4	0.10
	144/2	0.15
	145/1	0.28
	153/1	0.01
	145/2	0.15
योग	32	2.88

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 24 नवम्बर 2015

क्रमांक/392/क/भू-अर्जन/11/अ/82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-पिथौरा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़ेटेमरी नकटीनाला तु.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.44 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	24	0.51
	25	0.04
	26	0.22
	40	0.45
	34	0.08
	35	0.14
योग	6	1.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लोंवर जोंक बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 28 अक्टूबर 2015

क्रमांक/6942/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-बैकुण्ठपुर
- (ग) नगर/ग्राम-केनापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.459 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	401/2	0.264
	404/12	0.002
	405/2	0.020
	403	0.126
	405/1	0.040
	409	0.007
योग	6	0.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन-गेज सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बैकुण्ठपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1706/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-दुबछोला, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.398 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.178
2/1	0.825
2/3	0.631
5/1	0.769
5/2	0.542
7	1.185
8	1.882
10	0.364
16	1.963
310/2ख	0.202
315	0.021
316	0.182
319	0.860
17/578	0.628
598	0.628
599	1.133
15	0.089
19/1	0.101
261/1	0.141
262	0.073
263/1	0.032
267/1	0.065
257/1	0.121
256/1	0.303
252	0.141
249	0.061
248/1	0.036
248/2	0.036
248/3	0.117
153	0.041
213/1	0.182
213/2	0.181
209	0.029
208/1	0.049
0.182	0.041
0.181	0.101
0.029	0.029
0.049	0.081
318	0.263
255/1	0.071
250/1	0.071

(1)	(2)
317	0.950
योग 42	15.398

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चिरमिरी जलाशय योजना के बांध निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 अक्टूबर 2015

क्रमांक/1708/896/वाचक/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरिया
- (ख) तहसील-खड़गवां
- (ग) नगर/ग्राम-दुबछोला, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.295 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
204/1	0.153
200/1	0.109
202/2	0.061
202/1	0.012
197/1	0.053
223/2	0.193
435/1	0.081
451/1	0.246
469	0.109
470	0.121
481	0.041
508/3	0.012
439	0.049
574	0.020
177/2	0.178
178/2	0.049
179	0.020
186	0.194
189/1	0.218
448/3	0.016
474/1	0.065
449	0.036
475/2	0.016
473	0.024
483	0.194
484	0.170
509	0.153
550/1	0.032
552/5	0.194
552/6	0.069
552/12	0.073
552/13	0.061
552/1	0.057
512/2	0.298
योग 34	3.295

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-चिरमिरी जलाशय योजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), खड़गवां चिरमिरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/516/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	भानसानाला	26	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/519/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	आमामुड़ा	32	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/522/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	बोईरगांव	23	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/525/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	लाखडोंगरी	23	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/528/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	बाघडोंगरी	23	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/531/2015.— यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	सीतानदी	26	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/534/2015.— यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	सुपलीकोन्हा	31	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/537/2015.— यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–4–137/सात–1/2013 दिनांक 01–01–2014 के माध्यम से छ.ग. भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वन ग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	पालाराव	31	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 23 नवम्बर 2015

क्रमांक/540/2015.— यत:, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरार्थकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम 02 में दर्शित वन ग्राम को अस्तित्व में नहीं होने के कारण, एतद्द्वारा विलोपित करता हूं.

अनुसूची

सरल क्र. (1)	वनग्राम का नाम (2)	पटवारी हल्का नंबर (3)	तहसील (4)	जिला (5)
1.	जंगलपारा	30	धमतरी	धमतरी

भीम सिंह,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 733/L.G./2015/II-2-17/2015.—Shri B. P. Verma, Judge, Family Court, Raigarh is hereby, granted earned leave for 09 days from 23-10-2015 to 31-10-2015 along with permission to remain out of headquarters from 21-10-2015 till before the Court hours of 02-11-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 172 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 734/L.G./2015/II-3-4/2010.—Smt. Rajni Dubey, Registrar (vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 06 days from 02-11-2015 to 07-11-2015 along with permission to leave headquarters from 02-11-2015 to 15-11-2015.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Dubey, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 79 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 738/L.G./2015/II-03-07/2015.—Shri Santosh Sharma, Special Judge under S.C. & S. T. (P.A.) Act, Surguja at Ambikapur is hereby, granted earned leave for 09 days from 23-10-2015 to 31-10-2015 along with permission to leave headquarters from 21-10-2015 till before the Court hours of 02-11-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 145 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 739/L.G./2015/II-2-13/2009.—Shri Gautam Chouradia, Director, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from12-10-2015 to 16-10-2015 along with permission to remain out of headquarters from the evening of 09-10-2015 till the morning of 26-10-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Chouradia, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 281 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 740/L.G./2015/II-2-12/2009.—Shri Ashok Kumar Goyal, District & Sessions Judge, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 08 days from 23-10-2015 to 30-10-2015 along with permission to remain out of headquarters from 23-10-2015 to 30-10-2015.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+07 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 741/L.G./2015/II-2-05/2006.—Shri Ravi Shankar Sharma, Registrar (I & E) and I/c S. & A Cell, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted commuted leave for 08 days from 26-10-2015 to 02-11-2015.

During the period of commuted leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 374 days of half-pay leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 20th November 2015

No. 742/L.G./2015/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, District & Sessions Judge, Surajpur is hereby, granted commuted leave for 07 days from 27-10-2015 to 02-11-2015 along with permission to leave headquarters.

During the period of commuted leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 27 days of half-pay leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
MANSOOR AHMED, Additional Registrar (ADMN.).